न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 05/2009

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जबरसिंह पुत्र. डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी मोरडू तहसील सुमेरपुर जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 5.10.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 251/2002 जबरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2009 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम मोरडू के गत खसरा नम्बर 36 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के पश्चिम में खसरा नम्बर 37 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0बाला की भूमि थी एवं पूर्व में खसरा नम्बर 40 रकबा 4 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि थी। भू–प्रबन्ध के पश्चात अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 36 के नये खसरा नम्बर 50 रकबा 4.98 हैक्टेयर बने तथा गत खसरा नम्बर 37 के हाल खसरा नम्बर 37 ही कायम किये, जिसका रकबा 0.84 हैक्टेयर दर्ज कर दिया, जो गत रकबा के मुकाबले 0.22 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज की गई, उक्त भूमि अपीलाण्ट की भूमि में से कम की गई है। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 40 के हाल खसरा नम्बर 52 कायम किए गए, जिसका रकबा 0.35 हैक्टेयर दर्ज किया गया। इसमें 0.29 हैक्टेयर भूमि रास्ते में से कम की जाकर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटी की अपीलाण्ट को जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम की गई, उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तनकीयात को अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही जैर अपील निर्णय के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को किसी भी खसरे की भूमि के क्षैत्रफल को बढाने एवं कम करने का अधिकार ही नहीं था। इसके बावजूद भी सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बाले की भूमि का रकबा बढा दिया एवं रास्ते की भूमि का रकबा कम कर दिया, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज किया है तथा अपीलाण्ट द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, उनका परीक्षण ही नहीं किया एवं न ही तनकीवार विश्लेषण किया है। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई थी, इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को न मानने का कोई कारण नहीं था। अपीलाण्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था, वह पूर्णतः दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित था, जिस अपीलाण्ट द्वारा बखूबी साबित किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का उल्लंघन मानते हुए वाद खारिज़ किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए माफिक अनुतोष वाद को डिक्री करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 8, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1006 तथा आर0आर0टी0 2001 (1) पेज 244 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी में जिन तथ्यों को जाहिर किया है, उन्ही तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। दस्तावेजात् के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रकट होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय अपीलाण्ट की भूमि के क्षैत्रफल में किसी प्रकार की कमी–बेशी नहीं की गई है। जहां तक अपीलाण्ट द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पीछे की मंशा प्रतीत होती है, उसका विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में उसका विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है। हालांकि अपीलाण्ट का यह तर्क उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार विनिश्चय करते हुए निर्णय पारित किया जाना था, किन्तु जब प्रकरण की परिस्थितियां एवं विवाद का मुख्य बिन्दु ही आधारहीन हो तो उस स्थिति में प्रकरण का अन्तिम निर्णय किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 251/2002 जबरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली